न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

(जी सी एम एस नम्बर 2023/81)

मुकदमा नम्बर:– 10/2023

उनवान प्रकरण :–

भूरीसिंह उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र रघुनंदन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम घडी कोढपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ....प्रार्थी

बनाम

1–नेकराम पुत्र पंछी | जातिगण ब्राहम्ण निवासी विद्रादेवी नर्सिंग होम के पास
2–राधेश्याम पुत्र पंछी |
3–लीलाधर पुत्र पंछी | बोदला आगरा उ0प्र0
4–लीला पुत्री पंछी पत्नी केशव निवासी जैगरा तह0 किरावली जिला आगरा उ0प्र0
5–विशाल पुत्र दिगम्बर | जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम दौलतपुर तहसील व
6–सचिन पुत्र दिगम्बर | जिला मथुरा उ0प्र0 ....अप्रार्थीगण
7–तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट
विरूद्ध आवंटन तारीख 21.02.1987

न्यायालय जिला ... धौलपुर (राज.)

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थीगण की ओर से – –
अप्रार्थी सं07 की ओर से – पैरोकार सरकार

दिनांक 31.01.2025

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1709/51 रकवा 0. 5058 हैक्टेयर वांके ग्राम कोढपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर इस प्रार्थना पत्र में विवादित है तथा खसरा नम्बर 1709/51, खसरा नम्बर 51 रकवा 03 बीधा वांके ग्राम कोढपुरा का अंश है तथा जिसमें से 2 बीधा क्षेत्रफल खसरा नम्बर 51/2 के रूप में दिनांक 21.02.1987 को पंछी पुत्र नारायन सिंह जाति ब्राहम्ण के पक्ष में

जिला कलक्टर
धौलपुर

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 15 के अधीन शर्तो भूमि गलत रूप से आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के विरूद्ध यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया है कि आवंटन तारीखी 21.02. 1987 तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। आवंटी पंछी पुत्र नारायन सिंह ने तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन कमेटी को धोखे में रखते हुये आवंटन प्राप्त किया था। पंछी पुत्र नारायन सिंह भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। आवंटन से पूर्व तथा आवंटन के समय पंछी के पास अन्य कृषि भूमि थीं। आवंटन सलाहकार समिति में कुल सात सदस्य होते है जिसकी उपस्थिति सहमति एवं हस्ताक्षर के पश्चात ही योग्य व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन किया जा सकता है तथा आवंटन सलाहकार समिति में जो सदस्य होते है वह इस प्रकार से है राजस्थान विधानसभा का वह सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति का प्रधान, अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति का विकास अधिकारी, अधिकारिता रखने वाली तहसील का तहसीलदार, एस.टी./एस.सी का व्यक्ति जो पंचायत समिति द्वारा अपने सदस्यों मे से नामनिर्दिष्ट किया जावेगा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति जिनका मनोनयन राज्य सरकार के हित में आवश्यक समझे। उपरोक्त आवंटन तारीखी 21.08.1987 में आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों में से मात्र प्रधान, तहसीलदार, विकास अधिकारी व सरपंच के ही मात्र हस्ताक्षर हो रहे है अन्य सदस्य जिनमें विधायक, एस.सी./एस.टी. का सदस्य तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। लिहाजा आवंटन सलाहकार समिति का कोरम अपूर्ण था तथा किया गया आवंटन विधि विरूद्व है। उक्त आवंटन तारीखी 21.02.1987 से पूर्व आवंटन योग्य भूमियों की सूची तैयार नहीं की गई तथा ना ही कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु आमंत्रित किये गये लिहाजा किया गया आवंटन विधि विरूद्व है तथा अनियमितता से परिपूर्ण है। आवंटित भूमि खसरा नम्बर 51 वाके ग्राम कोढपुरा तत्कालीन राजस्व ग्राम रजोरा कला पर करीब 40 वर्ष पूर्व से जगदीश पुत्र रघुनंदन जाति ब्राह्मण निवासी रजोरा कला का अवैध रूप से कब्जा है तथा वर्तमान में भी जगदीश ही काबिज है तथा आवंटन पंछी पुत्र नारायण के पक्ष में करने से पूर्व अतिक्रमी जगदीश के विरूद्व धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत बेदखली की कोई कार्यवाही नही की गई। लिहाजा किया गया आवंटन विधि विरूद्व है तथा अनियमित है। आवंटित भूमि खसरा नम्बर 51 वाके ग्राम कोढपुरा में मौके पर पूर्व में बहुत बडा खडडा (पोखरनुमा गडडा) जिसमें गांव का पानी जाता था तथा खसरा नम्बर 51 कीमती सरकार भूमि है जिसको अप्रार्थीगण के पूर्वज पंछी ने अवैध रूप से अपने पक्ष में आवंटित करवाया था तथा बिना कब्जे की जांच के पंछी ने गैर खातेदारी का नामान्तकरण 636 खुलवा लिया है तथा अवैध इन्द्राजात की आड में अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। तथाकथित आवंटन तारीखी 21.02.1987 मे आवंटी के ऊपर यह शर्ते अधिरोपित की गई थी कि वह आवंटन के दिनांक से एक वर्ष के अन्दर आवंटित की गई भूमि के 1/2 भाग पर तथा दूसरे वर्ष शेष भाग पर

जिला कलक्टर
धौल...

खेती करेगा लेकिन आवंटी ने आवंटन की दिनांक से लेकर आज तक न तो आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त किया तथा ना ही उसके द्वारा काश्त की गई आवंटी ने शर्तो का उल्लंघन किया लिहाजा शर्तो की अपालना को दृष्टिगत रखते हुए आवंटन काबिले खारिजी के है। उपरोक्त अनियमिताओं को दृष्टिगत रखते हुये आवंटित खसरा नम्बर 1709/51 रकवा 0.5058 हैक्टेयर वांके ग्राम कोढपुरा तत्कालीन राजस्व ग्राम रजोरा कला को सरकारी भूमि दर्ज करने के लिए उक्त आवंटन तारीख 21.02.1987 को निरस्त करने के लिये समुचित आदेशार्थ पत्रावली अपनी राय के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1709/51 रकवा 0.5058 हैक्टेयर वांके ग्राम कोढपुरा के सम्बध में किये गये आवंटन तारीखी 21.02.1987 के संबध में बरती गयी अनियमितता एवं अवैधता तथा उक्त आवंटन के पश्चात अधिरोपित शर्तो की अपालना को दृष्टिगत रखते हुये उक्त आवंटन के निरस्ती हेतु तथा खसरा नम्बर 1709/51 वांके ग्राम कोढपुरा को सरकारी भूमि दर्ज करवाने हेतु समुचित आदेशार्थ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रति मौका पर्चा ग्राम कोढपुरा तह0 सैपऊ तारीखी 22.06.2023, प्रमाणित प्रति भूमि आवंटन तारीखी 21.02.1987 वांके ग्राम रजौराकला वहक पंछी पुत्र नारायन सिंह ब्राहम्ण निवासी रजौराकला, छायाप्रति जमाबन्दी खाता संख्या 169 ग्राम कोडपुरा सम्बत 2076–79, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 51 ग्राम रजौराकला सम्बत 2042–45, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 390/368 ग्राम रजौराकला तह0 सैपऊ सम्बत 2054–57, प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 321 वांके ग्राम रजौराकला सम्बत 2076–79, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 338 ग्राम रजौराकला, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी खसरा नम्बर 51 ग्राम रजौराकला सम्बत 2028, पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 लगा0 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 25.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–7 पैरोकार सरकार उपस्थित हुये उनकी ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन तारीखी 21.08.1987 में आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों में से मात्र प्रधान, तहसीलदार, विकास अधिकारी व सरपंच के ही मात्र हस्ताक्षर हो रहे है अन्य सदस्य जिनमें विधायक, एस.सी./एस.टी. का सदस्य तथा राज्य सरकार द्वारा

जिला कलक्टर
धौलपुर

मनोनीत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। लिहाजा आवंटन सलाहकार समिति का कोरम अपूर्ण था तथा किया गया आवंटन विधि विरूद्व है। आवंटित भूमि खसरा नम्बर 51 वाके ग्राम कोढपुरा तत्कालीन राजस्व ग्राम रजोरा कला पर करीब 40 वर्ष पूर्व से जगदीश पुत्र रघुनंदन जाति ब्राह्मण निवासी रजोरा कला का अवैध रूप से कब्जा है तथा वर्तमान में भी जगदीश ही काबिज है तथा आवंटन पंछी पुत्र नारायण के पक्ष में करने से पूर्व अतिक्रमी जगदीश के विरूद्व धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत बेदखली की कोई कार्यवाही नही की गई। लिहाजा किया गया आवंटन विधि विरूद्व है तथा अनियमित है। खसरा नम्बर 51 कीमती सरकार भूमि है जिसको अप्रार्थीगण के पूर्वज पंछी ने अवैध रूप से अपने पक्ष में आवंटित करवाया था तथा बिना कब्जे की जांच के पंछी ने गैर खातेदारी का नामान्तकरण 636 खुलवा लिया है तथा अवैध इन्द्राजात की आड में अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। आवंटन तारीखी 21.02.1987 मे आवंटी के ऊपर यह शर्ते अधिरोपित की गई थी कि वह आवंटन के दिनांक से एक वर्ष के अन्दर आवंटित की गई भूमि के 1/2 भाग पर तथा दूसरे वर्ष शेष भाग पर खेती करेगा लेकिन आवंटी ने आवंटन की दिनांक से लेकर आज तक न तो आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त किया तथा ना ही उसके द्वारा काश्त की गई आवंटी ने शर्तो का उल्लंघन किया लिहाजा शर्तो की अपालना को दृष्टिगत रखते हुए आवंटन काबिले खारिजी के है। उक्त आवंटन के निरस्ती हेतु पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश फरमाए जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 1709/51 रकवा 0.5058 हैक्टेयर वांके ग्राम कोढपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर खसरा नम्बर 51 रकवा 03 बीधा वांके ग्राम कोढपुरा का अंश है तथा जिसमें से 2 बीधा क्षेत्रफल खसरा नम्बर 51/2 के रूप में दिनांक 21.02.1987 को अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष पंछी पुत्र नारायन सिंह जाति ब्राहम्ण के पक्ष में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 15 के अधीन शर्तो के अनुसार भूमि आवटिंत की गई थी। पत्रावली में दिनांक 22.06.2023 का जो मौकापर्चा पेश किया गया है उसके अनुसार आवंटी का आवंटित आराजी पर मौके पर कब्जा नहीं होना अंकित किया है तथा यह भी अंकित किया है कि करीब 40 वर्ष से अन्य किसी व्यक्ति जगदीश पुत्र रघुनंदन जाति ब्राह्मण निवासी गढी कोडपुरा का कब्जा है। आवंटन तारीखी 21.02.1987 मे आवंटी को आवटित भूमि का जो प्रमाण पत्र पेश किया गया है उसमें आवंटन की शर्त संख्या-3 में यह स्पष्ट अंकित है कि आवंटन के दिनांक से एक वर्ष के अन्दर आवंटित की गई भूमि के 1/2 भाग पर तथा दूसरे वर्ष शेष भाग पर खेती करेगा लेकिन आवंटी ने आवंटन की दिनांक से लेकर आवंटित भूमि पर उसके द्वारा काश्त नहीं की गई। इस प्रकार आवंटी ने

जिला कलक्टर
धौलपुर

शर्तों का उल्लंघन किया है। जब आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा साबित नहीं है तो गैर खातेदारी का खोला गया नामान्तकरण संख्या 636 शून्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पूर्व पुरुष पंछी पुत्र नारायन सिंह जाति ब्राहम्ण के पक्ष में खसरा नम्बर 1709/51 रकवा 0.5058 हैक्टेयर वांके ग्राम कोढपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में किये गये आवंटन तारीखी 21.02.1987 के निरस्ती हेतु तथा खसरा नम्बर 1709/51 वांके ग्राम कोढपुरा को सरकारी भूमि दर्ज करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं । दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 19.03.2025 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उपस्थित होवे।

आदेश आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)